तारीख
न्यायालयादेश द्वारा 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण 90/2017

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्रीपाल

25.6.18 पत्रावली आज लोक अदालत में कोई बोर्ड गठित नहीं हुई। पत्रावली जब पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मैसर्स कोई भी उपस्थित उभय-पक्ष के सुना गया। प्रार्थी ग्राम व अप्रार्थीगण की आपसी प्राप्त-वाद होने से उभयपक्ष के बीच विवाद है। प्रार्थीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के आपसी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र आंशिक निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के मूलवाद के निस्तारण तक इस आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम उपखण्ड तहसील दौसा के सिवा प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 48, 49 तथा 66 के खसरे में दखलंदाजी नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर लम्बित से कम है तथा बाद तमामिल पूर्ण होकर होने वाले मूलवाद के संलग्न है। निर्णय राजस्व लोक अदालत में कोई बोर्ड के सामने आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौसा